मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2011. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, इन बैंकों ने वर्ष-वार कहां तक लक्ष्य को प्राप्त किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ बैंक भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन बैंकों की दक्षता को सुधारने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चंद्रशेखर मूर्ति) : (क) इस समय मध्य प्रदेश राज्य में चौबीस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है जिनके मुख्यालय होशंगाबाद, बिलासपुर, रीवा, टीकमगढ, सतना, अम्बिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, झाबुआ, रायगढ़, शिवपुरी, दमोह, देवास, खंरगौन, मंडला, छिंदवाड़ा, सीहोर, शहडोल, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, उज्जैन, दतिया और विदिशा में स्थित हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा राशियों और अग्रिमों के मामले में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :–

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण/ब्यौरा	1991-92	1992-93	1993-94
1.	बकाया अग्रिम (मार्च)	31788.03	33888.95	36270.00
2.	बकाया जमा राशियां (मार्च)	43510.54	49103.27	61455.00*
3.	जारी किए गए ऋण (वर्ष के दौरान)	4660.47	3243.05	3973.10*

*(आंकड़े अनन्तिम)

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अर्थात् बस्तर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था । इसके कारण ये हैं : अधिकांश बैंकों के खराब वसूली कार्य-निष्पादन जिसके परिणामस्वरूप उनके ऋण खातों का निष्क्रिय परिसंपत्तियों में परिवर्तित होना, विशेष रूप से राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट के कार्यान्वयन के बाद बढ़ती हुई स्थापना लागतें, अपेक्षाकृत वित्तपोषक एजेंसियों के प्रति निरंतर चूकें, उच्च लागत वाली सापेक्ष जमाराशियों की अधिकता, कर्मचारियों की कम उत्पादकता और लेन-देन की उच्च लागत ।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता को सुधारने के लिए, उनकी संबंधित बैंकिंग गतिविधियों में अधिक लचीलेपन के वास्ते दिसम्बर, 1993 में कई उपायों की घोषणा की गई है । इन उपायों में ये शामिल हैं : गैर-लक्ष्य समूह के वित्तपोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर-निधि-कारोबार में वृद्धि करना, जिन क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों का 1992–93 के दौरान संवितरण 2 करोड़ रुपए से कम था, उन्हें सेवा क्षेत्र की बाध्यताओं से मुक्त करना और हानि उठानेवाली शाखाओं को मंडियों, तालुका/जिला मुख्यालयों, कृषि उत्पाद केन्द्रों जैसे स्थानों पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान करना तथा उन संस्थाओं के परिसरों में विस्तार पटल खोलना, जिसके लिए संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्य बैंकर है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुरक्षित जमा लाकर स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान की गई है ।

मध्य प्रदेश के पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (पूरे भारत में 49) को व्यापक पुनर्संरचना के लिए लिया गया है, जिसमें नई पूंजी लगाकर उनके तुलन पत्रों को परिमार्जित करना शामिल है ।

Relaxation of Rules for Mutual Fund Scheme

2012. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Reserve Bank of India relaxed rules for operation of Mutual Fund Scheme;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of foreign firms allowed to operate launch Mutual Fund; and

(d) whether UTI, LIC have been adversely affected and the steps taken to control and supervise Mutual Fund scheme 7

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHAR MURTHY) : (a) and (b) The Reserve Bank of India (RBI) had on March 8, 1994 advised all banks that mutual funds sponsored by them need not seek the approval of RBI for floating individual schemes provided prior approval